



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247830
CG-DL-E-03082023-247830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]
No. 458]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, , 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

संख्या 58/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 585(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उप-धारा (1) के परंतुक और धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आयात शुल्क के आस्थगित भुगतान नियम, 2016 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों को आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- आयात शुल्क के आस्थगित भुगतान नियम, 2016 में (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त नियम से संदर्भित किया गया है), नियम 4 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि, केंद्र सरकार, जहां आवश्यक और समीचीन समझती हो, असाधारण परिस्थितियों में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक अलग नियत तारीख को भुगतान करने की अनुमति दे सकती है।";

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 “बशर्ते और भी कि कोई पात्र आयातक को आस्थगित भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी यदि उसने-
 (i) नियम (4) के अनुसार नियत तारीख के भीतर बिल ऑफ एंट्री के लिए शुल्क का भुगतान कर दिया है; और
 (ii) एक दिन के भीतर (छुट्टियों को छोड़कर) पुनर्मूल्यांकन के कारण ब्याज के साथ उसी बिल ऑफ एंट्री के लिए विभेदक शुल्क का भुगतान कर दिया है।

[फा. सं. 450/81/2016-सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं. 134/2016- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 नवंबर, 2016 जिसे सा.का.नि. 1037(अ), दिनांक 2 नवंबर, 2016 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिसूचना सं. 28/2017-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31 मार्च, 2017 जिसे सा.का.नि. 321(अ), दिनांक 31 मार्च, 2017 और अधिसूचना सं. 79/2020 सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 19 अगस्त, 2020 जिसे सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 19 अगस्त, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2023

No. 58/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 585(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 47 and section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Deferred Payment of Import Duty (Amendment) Rules, 2023.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, the following proviso shall be inserted, namely: -
 “Provided that, where the Central Government considers it necessary and expedient, it may, under exceptional circumstances, and for reasons to be recorded in writing, allow payment to be made on a different due date.”
3. In the said rules, in rule 6, the following proviso shall be inserted, namely: -
 “Provided further that the eligible importer shall be permitted to make the deferred payment if he has-
 (i) paid the duty for a bill of entry within due date in terms of rule 4; and
 (ii) paid the differential duty for the same bill of entry along with the interest on account of reassessment within one day (excluding holidays).”

[F. No. 450/81/2016-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Director (Customs)

Note: The principal Notification No.134/2016-Customs(N.T.) dated the 2nd of November, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 1037(E), dated the 2nd November 2016, and was amended by Notification No.28/2017-Customs(N.T.) dated the 31st of March, 2017, vide number G.S.R. 321(E) dated the 31st March 2017 and Notification No.79/2020-Customs(N.T.) dated the 19th of August, 2020, vide number G.S.R. 514(E) dated the 19th August, 2020.